

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/6370-81

दिनांक : 1/2/2019

परियोजना अधिकारी,

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

बांसवाडा।

विषय : सडक/पुलिया निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निम्नानुसार विभिन्न पत्रों से जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त होने पर तकनीकी अनुमोदन अनुसार कॉलम संख्या-6 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी-सार्वजनिक निर्माण विभाग

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी अनुमोदन	
		क्र./दि.	राशि	क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सबमर्सिबल पुल का निर्माण कार्य कटुम्बी से चन्द्र रोड बुन्दन नदी पर पं.स. छोटी सरवन	5429-37 25.01.2019	987.60	SE/BSW/ 29-01-2019	987.60
2	ग्रेड इम्प्रूवमेंट बाय घाटा कटिंग का कार्य गांधी नगर से वीडिया पाड़ा, कुशलगढ़ में रोड़ में	5962-74 30.01.2019	70.33	134/ 17.01.2019	70.33
	योग		1057.93		1057.93

उपरोक्त कार्य पर प्रथम किश्त की राशि व्यवस्था इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6044-56 दिनांक 30.01.2019 द्वारा प्रतापगढ़ जिले में संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अन्तर्गत स्वीकृत कार्य सुहागपुरा वीरपुर रोड पर एराव नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज निर्माण के कार्य के निरस्त होने से इस कार्य हेतु परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक 34068-80 दिनांक 18.09.2018 से हस्तांतरित राशि 215.00 लाख से होगी। शेष राशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से उपलब्ध कराई जायेगी।

परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा आदेश क्रमांक 6044-56 दिनांक 30.01.2019 के क्रम में राशि 215.00 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़ से प्राप्त कर कार्यकारी एजेन्सी को हस्तांतरित करेंगे।

शर्त :-

- यदि उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता हो तो सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कराकर ही कार्य प्रारंभ करे।
- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- उपरोक्त कार्यों की वित्तीय स्वीकृति सा.नि.वि. द्वारा प्रेषित तकनीकी अनुमोदन के आधार पर जारी की जा रही है। कार्य प्रारंभ होने से पूर्व कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रेषित करे।
- कार्य की निविदा समय पर आमंत्रित की जावे एवं कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जावे। विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।

कृ.पू.उ.

6. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावे।
7. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
8. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)I.A.S
आयुक्त

एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/ 6370-8।
प्रतिलिपि -

दिनांक : 1/2/2019

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्यो की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त विस्तृत तकमीनो एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर जारी की जा रही है। कृपया कार्य प्रारंभ होने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रेषित करे।
5. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बांसवाडा।
6. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बांसवाडा/अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड घाटोल को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
7. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग प्रतापगढ को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6044-56 दिनांक 30.01.2019 द्वारा प्रतापगढ जिले मे स्वीकृत कार्य सुहागपुरा वीरपुर रोड पर एराव नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज निर्माण के कार्य के निरस्त होने से इस कार्य हेतु आपको हस्तांतरित की गई राशि 215.00 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करे।
8. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

आयुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)